रजिस्ट्री सं० डी० (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 591] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 1989/कार्तिक 16, 1911
No. 591] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 1989/KARTIKA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बीमा प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989

सा.का.नि. 968 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है, अर्थात —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनो और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1989 है।

(2) इसमें इसके पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन नियमों के उपबंधों को 1 अप्रैल, 1989 से लागू समझा जाएगा।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"4. वेतनमान—

(1) विकास अधिकारियों के वेतनमान निम्नलिखित के अनुसार होंगे.—

1350-80-1750-100-1850-110-1960-द.रो.-120-2920-द.रो.-120-3880 रु

(2) विकास अधिकारी को उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतन और अनुज्ञेय अन्य भत्ते कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अनुसार विनियमित होंगे ;

(3) 1 अप्रैल, 1989 से, श्रेणी 2 के विकास अधिकारियों को उपनियम (1) मे निर्दिष्ट वेतनमान के न्यूनतम पर रखा जाएगा।"

3. उक्त नियमों में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"5. महंगाई भत्ता .

(1) विकास अधिकारियों को लागू महंगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा :—

(क) सूचकांक . औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक ।

(ख) आधार : 1960=100 की श्रृंखला में सूचकांक संख्या 600

(ग) दर : महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 600 प्वाइंटों से ऊपर त्रैमासिक, औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के बढ़ने या उनमें कमी आने के लिए त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा । विकास अधिकारियों को महंगाई भत्ता निम्नलिखित दर पर दिया जाएगा :—

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i) 1650 रु० तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत
(ii) 1651 से 2850 रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत धन 1650 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत ।
(iii) 2851 रु. और उससे अधिक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत धन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच के अन्तर का 0.55 प्रतिशत धन 2850 रु. से अधिक मूल वेतन का 0 33 प्रतिशत ।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य ... के त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600-604-608-612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संदेय महंगाई भत्ते का ऊर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता दिया गया है तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा । अधोगामी पुनरीक्षण होने पर, संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है, और यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है । इस प्रयोजन के लिए तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर, या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी । भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अंतिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा ।

(3) किसी विशिष्ट मास के लिए महंगाई भत्ते के परिकलन के प्रयोजन के लिए उस अंतिम तिमाही का त्रैमासिक औसत जिसके लिए अंतिम सूचकांक उस मास की 15 तारीख को उपलब्ध है, लिया जाएगा । इस पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का वास्तविक संदाय उस मास से अगले मास में किया जाएगा जिसमें सुसंगत सूचकांक उपलब्ध हो ।" ।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"6. मकान किराया भत्ता :

(1) विकास अधिकारियों को, सिवाय उनके जिन्हें निगम ने निवास स्थान आबंटित किया है मकान किराया भत्ता मापमान 3000 रु. के मूल वेतन तक 12½ प्रतिशत की दर पर होगा और 3000 रु. से अधिक मूल वेतन के लिए 10 प्रतिशत की दर पर होगा किन्तु यह अधिक से अधिक 425 रु. प्रतिमास होगा ।

(2) विकास अधिकारी, जिन्हें निगम द्वारा निवास स्थान आबंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे जिसका विनिश्चय निगम समय-समय पर करेगा और वे किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।" ।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :—

"7. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता . –

विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

तैनाती का स्थान	दर
(क) (1) वे नगर जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा, पणजी और मारमुगांव, 1 अप्रैल, 1988 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(2) मारमुगांव और पणजी से भिन्न गोवा राज्य के किसी नगर में, 19 मई, 1988 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(3) गुड़गांव, वाशी और गांधी-नगर में 12 मई, 1989 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(ख) (1) वे नगर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, राज्यों की राजधानियां जिनकी आबादी 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर 1 अप्रैल, 1989 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 110 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।
(ii) पंचकुला नगर में, 12 मई, 1989 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 110 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।

टिप्पणी : 1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना में दिए गए हैं ।

2. नगरों के अन्तर्गत उनकी बस्तियां भी है ।" ।

6. उक्त नियमों के नियम एक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7क. पर्वतीय स्थान भत्ता :

विकास अधिकारियों को देय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

(i) औसत समुद्र तल से 1,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थान पर तैनात	मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर पर किन्तु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं ।

(ii) अंशत: समुद्र तल से 1,000 मीटर और उससे ऊपर किन्तु 1,500 मीटर से कम ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर तैनात, सरकारी और ऐसे स्थानों पर तैनात जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया गया है।	मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से किन्तु 125 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।"।

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) में "8½ प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां उनका प्रयोग किया गया है, "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (6) के खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) जहां किसी विकास अधिकारी पर प्रबंधतंत्र या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा से अन्तर्ग्रस्त किसी कार्य के लिए या नियोजन के स्थान में या उसके निकट किसी बलवाई या विक्षुब्ध व्यवहार के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हो, परन्तु तब जब ऐसा अपराध उसने अपने नियोजन के अनुक्रम में किया हो, पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां उसे देय उपदान पूर्णत: समपहृत हो जाएगा।"।

9. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"10. साम्यापूर्ण अनुतोष:

(1) नियम 1 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन इस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, विद्यमान विकास अधिकारियों का इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन 1 अप्रैल, 1989 से नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा और 1 अप्रैल, 1988 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में नकदम की बकाया राशि मंजूर कर सकेगा, जो उनके तदर्थ वार्षिक परिलब्धियों और वार्षिक परिलब्धियों का भाग होगी:

परन्तु विकास अधिकारी इन नियमों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर इस बात का चयन कर सकेगा कि उसके नकदम या उसके किसी भाग को ऐसी बकाया उसकी तदर्थ वार्षिक परिलब्धियों और 1 अप्रैल, 1989 के तुरन्त पश्चात् समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए वार्षिक परिलब्धियों का भाग होगी और उसका कोई अन्य अतिशेष उसके तुरंत पश्चात प्रारंभ होने वाले मूल्यांकन वर्ष का।

स्पष्टीकरण—

इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "विद्यमान विकास अधिकारी" पद से ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को विकास अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(2) संदेहों के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 1989 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष की बाबत संदाय उस वित्तीय वर्ष के सुसंगत मूल्यांकन वर्षों में वार्षिक परिलब्धियों के भाग के रूप में होंगे।

(3) निगम, कर्मचारिवृन्द नियमों के विनियम 51 के अधीन उस निमित्त जारी किए गए अनुदेशों द्वारा, उन व्यक्तियों के लिए, जो 1 अप्रैल, 1988 या उसके पश्चात् किन्तु इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व विकास अधिकारियों के रूप में काम कर चुके हों, इन नियमों द्वारा यथा पुनरीक्षित वेतनमान में मूल वेतन नियत करने के लिए उपबंध कर सकेगा, उन्हें विकास अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं के समाप्त होने जाने की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत कर सकेगा, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि क्या विकास अधिकारियों के किसी वर्ग को इस रूप में उनकी सेवा की अवधि के लिए कोई साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में संदाय किया जा सकता या नहीं और यदि किया जा सकता है तो उसकी रकम कितनी और उसके निबन्धन और शर्तें क्या होंगी:

परन्तु विकास अधिकारियों के ऐसे किसी वर्ग की बाबत, जिनकी सेवाएं विशेष उपबंधों के अधीन पर्यवसित की गई हैं साम्यापूर्ण अनुतोष के रूप में कोई संदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां मूल वेतन ऐसे नियम के अनुसार नियत किया जाता है, वहां इन नियमों द्वारा पुनरीक्षित अन्य भत्ते और फायदे भी ऐसे नियतन के आधार पर देय होंगे।"।

[फा.सं. 2(19)/बीमा-3/89]

एस. कानन, संयुक्त, सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 1989 से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार नियमों को 1 अप्रैल 1989 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

3. मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 109 (अ) तारीख 17 सितम्बर 1986 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनका संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 960 (अ) तारीख 7 दिसम्बर 1987 और सा.का.नि. 871 (अ) तारीख 22-8-1986 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

INSURANCE DIVISION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1989

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA—DEVELOPMENT OFFICERS (REVISION OF TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT RULES, 1989

G.S.R. 968(E):—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1989;

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1989.

2. In the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Serivce) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said Rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. Scale of pay:

(1) The scale of pay of the Development Officers shall be as follows : Rs. 1350-80-1750-100-1850-110-1960-EB-120-2920-EB-120-3880.

(2) The pay referred to in sub-rule (1) and other allowances admissible to a Development Officer shall be regulated in accordance with regulation 51 of the Staff Rules;

(3) With effect from the 1st day of April, 1989, Grade II Development Officer shall be placed at the minimum of the scale of pay referred to in sub-rule (1)."

3. In the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted namely:—

"5. Dearness Allowance :

(1) The scales of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under:—

(a) Index: All India Average Consumer Price Index number for Industrial Workers.

(b) Base: Index No. 600 in the Series 1960=100.

(c) Rate: Revision of dearness allowanc shall be made on quarterly basis for every four points rise or fall, in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 600 points. Development Officers may be paid dearness allowance at the following rates:—

Basic Pay	Rate of D.A. for every 4 points
(i) Upto Rs. 1650/-	0.67% of basic pay;
(ii) Rs. 1651/- to Rs. 2850/-	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of basic pay in excess of Rs. 1650/-;
(iii) Rs. 2851/- and above	0.67% of Rs. 1650/- plus 0.55% of difference between Rs. 2850/- and Rs. 1650/- plus 0.33% of basic pay in excess of Rs. 2850/-.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 600 points in the sequence 600-604-608-612 and so on and there shall be a downward revision of the dearness allowance payable if current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the lst preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence. For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December. The final Index Figure as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the Index figure, which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(3) For the purpose of calculating dearness allowance for a particular month, the quarterly average for the last quarter for which the final index figures are available on the 15th day of that month shall be taken. Actual payment of this revised dearness allowance shall be made in the month following that in which the relevant index figures are available."

4. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substitued, namely:—

"6. House Rent Allowance:

(1) The scale of house rent allowance of Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation shall be at the rate of 12½% of the basic pay upto Rs. 3000/- and at the rate of 10% of the basic pay which is in excess of Rs. 3000/-, subject to maximum of Rs. 425/- per month

(2) Development Officers who are allotted residential acommodation by the Corporation shall pay for such residential accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation from time to time and they shall not be entitled to any house rent allowance."

5. In the said rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. City Compensatory Allowance:

The scales of city compensatory allowance payable to Development Officers shall be as under:—

Place of Posting	RATE
(a) (i) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Panaji and Marmugao on and from 1st day of April, 1988.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.
(ii) Any city in the State of Goa, other than Panaji and Marmugao on and from 19th day of May, 1988.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per month.
(iii) Cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar on and from the 12th day of May, 1989.	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165/- per mohth.
(b) (i) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, state capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry and Port Blair on and from 1st day of April, 1988.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110/- per months.
(ii) City of Panchkula on and from 12th day of May, 1989	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110/- per month.

Notes: (1) For the purpose of this rule, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

(2) Cities shall include their urban agglomerations".

6. In the said rules, for rule 7A, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. A-Hill Allowance:

The scales of hill allowance payable to Development Officers shall be as under:—

(i) Posted at places situated at a height of 1,500 metres and over above mean sea level.	At a rate of 7% of the basic pay, subject to a maximum of Rs. 150/- per month.

(ii) Posted at places situated at a height of 1,000 metres and over but less than 1,500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	At the rate of 5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 125/- per month."

7. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1), for the figures and words "8½ percent" wherever it occurs, the figures and words '10 per cent" shall be substituted.

8. In sub-rule (6) of rule 9 of the said rules, for caluse (1) the following clause shall be sbustituted, namely –

(1) Where the penalty of dismissal is imposed on a Development Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment or for an offence involving moral turpitude provided that such offence is committed by him in the course of his employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forefeited".

9. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"10. Equitable Relief.

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 1, the Corporation may, by instructions issued in this behalf under regulation 51 of the Staff Rules, provide for the fixation of basic pay of existing Development Officers in the scale of pay as revised by these rules, with effect from 1st day of April, 1988 and grant arrears of salary for the period commencing on the 1st day of April, 1988 and ending on 31st day of March, 1989 by way of equitable relief, which shall form part of their ad hoc annual remuneration and annual remuneration :

Provided that a Development Officer may, within 30 days of the publication of these rules, choose that such arrears of salary or any part thereof shall form part of his ad hoc annual remuneration and annual remuneration for the appraisal year ending immediately after the 1st day of April 1989, and, in respect of any balance thereof, for the appraisal year commencing immediately thereafter.

Explanation:

For the purpose of this sub-rule, the expression "existing Development Officers" means employees who are working as Development Officers on the date of publication of these rules.

(2) For the removal of doubts, it is clarified that the salary relating to the financial year commencing on the 1st April, 1989 shall form part of the annual remuneration in the relevant appraisal years in that financial year.

(3) The Corporation may provide by instructions issued in this behalf under Regulation 51 of Staff Rules for fixation of basic pay in the scales of pay as revised by these rules of persons who may have worked as Development Officers on or after 1st April, 1988, but before the date of publication of these rules, classify them according to the nature of cessation of their service as Development Officers and specify whether the payment by way of equitable relief may be allowed to any class of Development Officers at all for the period of their service as such and if so, the amount and the terms and condition thereof.

Provided that no payment by way of equitable relief shall be allowed in respect of the class of Development Officers whose services may have been terminated under the special provisions.

(4) Subject to the other provisions of this rule, where basic pay is fixed in accordance with this rule, the other allowance and benefits as revised by these rules shall also be payable on the basis of such fixation".

[F.No. 2 (19)-Ins. III/89]
S. KANNAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the terms and conditions of service of Development Officers of Life Insurance Corporation of India with effect from Ist, April, 1989. The rules are being amended accordingly with effect from 1st April, 1989.

2. It is certified that no employee of Life Insurance Corporation is likely to be effected adversely by the Notification being given retrospective effect.

Foot Note. The principal rules were published under Notification No. GSR/109 (E) dated 17-9-1986 and subsequently amended by GSR 962 dated 7-12-87 and GSR 871(E) dated 22-8-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989